राजस्थान - सरकार

# न्यांयालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 10/24 प्रा०पत्र

1- श्रीमती टमु w/o मोहन गाडरी निवासी-सुरास तहसील-माण्डल [कैम्प]

-प्रार्थी

बनाम

1-श्री जयसिंह s/o श्री बालु सिंह राजपूत निवासी-सुरास तहसील-माण्डल [कैम्प]
(हस्तांकित प्राप्त पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 07-05-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 1128 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01-02-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 1128 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 500 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजुदगी मे मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.05.09 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा स्टाम्प जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल